# न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

| प्रार्थना पत्र संख्या | प्रवेश तिथि | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|
| 15/16/2021 | 25–01–2021 | 12–04–2021 |

1. सूरज पुत्र हरबल जाति मीणा निवासी नया बास शहर अलवर तहसील व जिला अलवर।
——प्रार्थी

बनाम

1. लक्ष्मण पुत्र लादू जाति मीणा निवासी नयाबास शहर अलवर राज0।
2. गीता मीणा धर्मपत्नि कैलाश चन्द मीणा जाति मीणा।
3. कैलादेवी पत्नि ग्राम सिंह जाति मीणा निवासीयान ग्राम रूपबास तहसील व जिला अलवर।
——अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र मुन्तकिल

उपस्थितः—

01. श्री अमर चन्द चौधरी — वकील प्रार्थी
02. श्री मनीष कुमार शर्मा — वकील अप्रार्थी

——:: निर्णय ::——

प्रार्थिया ने यह प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर जिला अलवर में विचाराधीन प्रकरण संख्या 1/272/2020 बउनवानी सूरज बनाम लक्ष्मण वगैरा को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किए जाने हेतु प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। एवं पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर टिप्पणी तलब की गई। टिप्पणी प्राप्त हुई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थिनी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर जिला अलवर में विचाराधीन प्रकरण संख्या 1/272/2020 बउनवानी सूरज बनाम लक्ष्मण वगैरा, राजस्व वाद के साथ प्रार्थना पत्र 2/194/2020 अन्तर्गत धारा 212 रा0का0अधिनियम 1955 व आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता विचाराधीन है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी द्वारा विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही न कर मनमाने तौर पर सुनवाई की जा रही है। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि रखकर जल्दी जल्दी तारीख नियम कर रहें है। उनके द्वारा प्रकरण को जल्दबाजी में बहस सुनकर प्रकरण का निस्तारण करने को उतारू हो रहें है। असल अप्रार्थीगण व तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी आपस में साज बाज हो गए है। अप्रार्थीगण तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी को निष्पक्ष न्याय करने में बाधा पैदा कर रहे है। जिस कारण से न्यायहित में प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल किया जाना आवश्यक है। पीठासीन अधिकारी से उक्त प्रकरण में न्याय व निष्पक्ष कार्यवाही की कोई उम्मीद नही रही है। विधी का यह सुस्थापित

सिद्धान्त है कि न्याय निर्णय होना ही नही चाहिए। जिससे प्रार्थीगण को निष्पक्ष न्याय की आशा नहीं है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण को अन्य अदालत में सुनवाई किया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया कि मूल प्रकरण तहत अदालत में वर्ष 2014 से विचाराधीन है। प्रार्थी जानबूझ कर तर0 प्रतिवादीगण की तलबी में लम्बित कर रहें है। अप्रार्थीगण के द्वारा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र दिनांक 03.12.2017 से प्रस्तुत किया हुआ है। प्रार्थी सात सालों के लम्बे समय से बहस करने में गुरेज कर रहा है। प्रकरण में अप्रार्थीगण को सुने बिना ही प्रार्थी को स्थगन आदेश प्राप्त है। प्रार्थी ने केवल प्रकरण लम्बित करने हेतु पेश किया है अप्रार्थीगण को भारी आर्थिक व मानसिक क्षति हो रही है, आरोप निराधार है। प्रार्थी प्रकरण का निस्तारण नहीं होने दे रहें है, प्रकरण काफी पुराना है। प्रार्थना पत्र अस्वीकार करवाया जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली एवं पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी का अवलोकन किया। पीठासीन अधिकारी ने अपनी टिप्पणी में लगाये गए आरोप बनावटी व मनगढ़न्त होना जाहिर किया है। विचाराधीन प्रकरण काफी पुराना है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ केवल स्वयं का हलफनामा लगाया है अपने कथन के समर्थन में अन्य किसी स्वतंत्र व्यक्ति का शपथ पत्र पेंश नहीं किया है। आरोपों के संबंध में कोई प्रमाणित साक्ष्य पेश नहीं किया है। प्रार्थना पत्र का लम्बी अवधि तक चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी अलवर को भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली नम्बर से कम होकर, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12–04–2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर, अलवर